नीति – निदेशक तत्त्वों का इतिहास
(History of Directive Principles)

भारतीय संविधान में नीति – निदेशक तत्त्वों का विकास मूल अधिकारों के विकास के साथ ही हो गया था। संविधान सभा के सदस्यों में इस बार पर सहमति बन गई थी कि स्वतंत्र भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार तो दिये ही जाने चाहिये, साथ ही राज्य ऐसे आदर्शों को साधने की कोशिश भी की जानी चाहिये जो सामाजिक न्याय के लिये वांछनीय हैं। इन सिद्धांतों को मूल अधिकारों के रूप में दिया जाना तत्कालीन परिस्थितियों में संभव नहीं था। ऐसे अधिकार, जिन्हें तत्काल देना संभव नहीं था, बी.एन. राव की सलाह पर नीति–निदेषक तत्त्वों की श्रेणी में रख दिये गए, ताकि जब सरकारें समक्ष हो जाएँ तब धीरे–धीरे इन उपबंधों को लागू करें। इन्हीं उपबंधों को संविधान के भाग 4 में रखा गया तथा राज्य के नीति–निदेषक सिद्धांत नाम दिया गया।

संविधान के भाग 4 को राज्य के नीति–निदेषक तत्त्व (डी. पी. एस.पी.) शीर्शक दिया गया है। इसके अंतर्गत 36 से 51 तक के अनुच्छेद शामिल हैं। संविधान का यह भाग आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है । इसके माध्यम से संविधान राज्य को बताता है कि उसे सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिये नैतिक दृष्टि से किन पक्षों पर बल देना चाहिये।

निदेषक तत्त्वों का महत्व
(Importance of Directive Principles)

- 'लोक–कल्याणकारी राज्य' की स्थापना
- आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना।
- भारत सरकार के कल्याणकारी कार्यों का आधारः अधिकांष योजनाएँ इससे प्रेरित हैं।
- इसमें संविधान का दर्षन निहित होता है।
- जब कभी न्यायपालिका के सम्मूख कोई संवैधानिक कठिनाई उत्पन्न हुई है, न्यायपालिका ने संविधानन की प्रस्तावना तथा राज्य के नीति–निदेषक तत्त्वों को ध्यान में रखकर संविधान को समझने का प्रयास किया है।

राज्य के नीति–निदेषक सिद्धांत

(Directive principles of state policy)

- अनुच्छेद 36: नीति–निदेषक तत्त्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा है। इसमें भी राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है।

- अनुच्छेद 37: इस भाग में दिये गए तत्त्वों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होते हुए भी देष के शासन में मूलभूत माना गया है तथा विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्त्तव्य होगा।

- अनुच्छेद 38: राज्य लोग–कल्याण की अभिवर्षद्धि के लिये सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।

- अनुच्छेद 38: राज्य लोग–कल्याण की अभिवर्षद्धि के लिये सामाजिक व्यवस्था बनाएगा ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो सके।

  42 वें संविधान संषोधन, 1976 के माध्यम से नीति–निदेषक तत्त्वों में अनुच्छेद 39 क, 43 तथा 48 को अंतः स्थापना किया गया।

- अनुच्छेद 38 (2) : आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं तथा अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना।

- अनुच्छेद 39: राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति–निर्देषक तत्त्व–
  - (क) पुरुशों व स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधान प्राप्त करने का अधिकार।
  - (ख) समाज में भौतिक संधाधनों के स्वामित्व का उचित वितरण।
  - (ग) अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधनों के अहितकारी कंद्रीकरण का निशेध।
  - (घ) पुरुषों व स्त्रियों दोनों के लिये समान कार्य के लिये समान वेतन।
  - (ड़) पुरुषों व स्त्री श्रमिकों तथा बच्चों को मजबूरी में आयू या शक्ति की दृश्टि से प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना।
  - (च) बच्चों को स्वतंत्र और गरिमा के साथ विकाष का अवसर प्रदान करना और षोशण से बचाना।

- अनुच्छेद 39 क (समान न्याय और निःषुल्क विधिक सहायता):

  राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधि तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो तथा आर्थिक या किसी भी अन्य आधार पर नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाएँ। यह विधिक सहायकता निःशुल्क होगी।

- अनुच्छेद 40 क (ग्राम पंचायतों का गठन):

  राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिये कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त षासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक हों।

- अनुच्छेद 41 (कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक–सहायकता पाने का अधिकार): राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक–सहायता पाने के अधिकार का प्रभावी उपबंध करेगा।

- अनुच्छेद 42 (काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं कमा तथा प्रसूति सहायता का उपबंध):

अनुच्छेद 43 : कर्मकारों के लिये निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर व अवकाष की व्यवस्था करना और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना।

- अनुच्छेद 43 क : राज्य उद्यागों में लगे उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिष्चित करने के लिये उपयुक्त विधान बनाएगा।

- अनुच्छेद 43 ख सहकारी समितियों का उन्नयनः सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त प्रचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेषेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करना।

सहकारी समितियाँः–

वर्श 2011 का 9वाँ संविधान संषोधन अधिनियम सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है। इस विधेयक के पारित होने के उपरांत संविधान में निम्नलिखित तीन बदलाव हुए–

- इसने सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया।
- सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिये इसने एक नए राज्य के नीति–निदेषक सिद्धांत को जोड़ा।
- यह अनुच्छेद 43ख में होगा ।
- इसने संविधान में एक नया खंड 9ख जोड़ा जिसका नाम ष्सहकारी समितियाँ रखा गया (अनुच्छेद यज से 243 यन) (243 ZH-243ZT) है।

- अनुच्छेद 44: नागरिकों के लिये एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करना ।

- अनुच्छेद 45: शिशुओं (प्रारंभिक शैशवावस्था) की देखभाल तथा 6 वर्श से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करना ।

- अनुच्छेद 46: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवशद्धि करना और हर तरह के शोशण व सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करना ।

- अनुच्छेद 47: लोगों के पोशाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक–स्वास्थ्य सुधार को प्राथमिक कर्त्तव्य मानना और मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिशेध करने का प्रयास करना।

राज्य का कर्तव्य

47

- अनुच्छेद 48 (कृशि और पशुपालन का संगठन): कृशि तथा पशुपालन का संगठन आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के अनुसार करना – तथा गाय–बछड़ों व अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण और सुधार करना व उनके वध का प्रतिशेध करने के लिये कदम उठाना।

- अनुच्छेद 48: पर्यावरण के संरक्षण व संवर्द्धन तथा वन व वन्यजीवों की रक्षा का प्रयास करना ।

Art 48 (A)

संसद

39 A
43 A
48 A
42वे 1976

38(B) 97वे 2011

(1) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम = 1972
(2) राष्ट्रीय वन नीति = 1988
(3) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम = 1986

- अनुच्छेद 49: राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना।

स्मारकों

स्थानों

वस्तुओं

इन वस्तुओं की अवैध खरीददारी निर्यात

- अनुच्छेद 50 (कार्यपालिका से न्यायपालिका का पश्थक्करण): राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिये कदम उठाना।

अनुच्छेद 51 (अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि): विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत व सम्मानपूर्ण संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटाने के लिये प्रोत्साहन देने का प्रयास करना ।

प्रयास करेगा

Russia – Ukraine

Treaty

Law

Act ⇒ राज्य → लोक सेवाएं - → 50

Act 50

कार्यपालिका — न्यायपालिका से अलग

Collector + D.M. → Magistrate +

Dy collector — S.D.M

PCS

Collector

D.C + Magistrate

Revenue

दंड देना

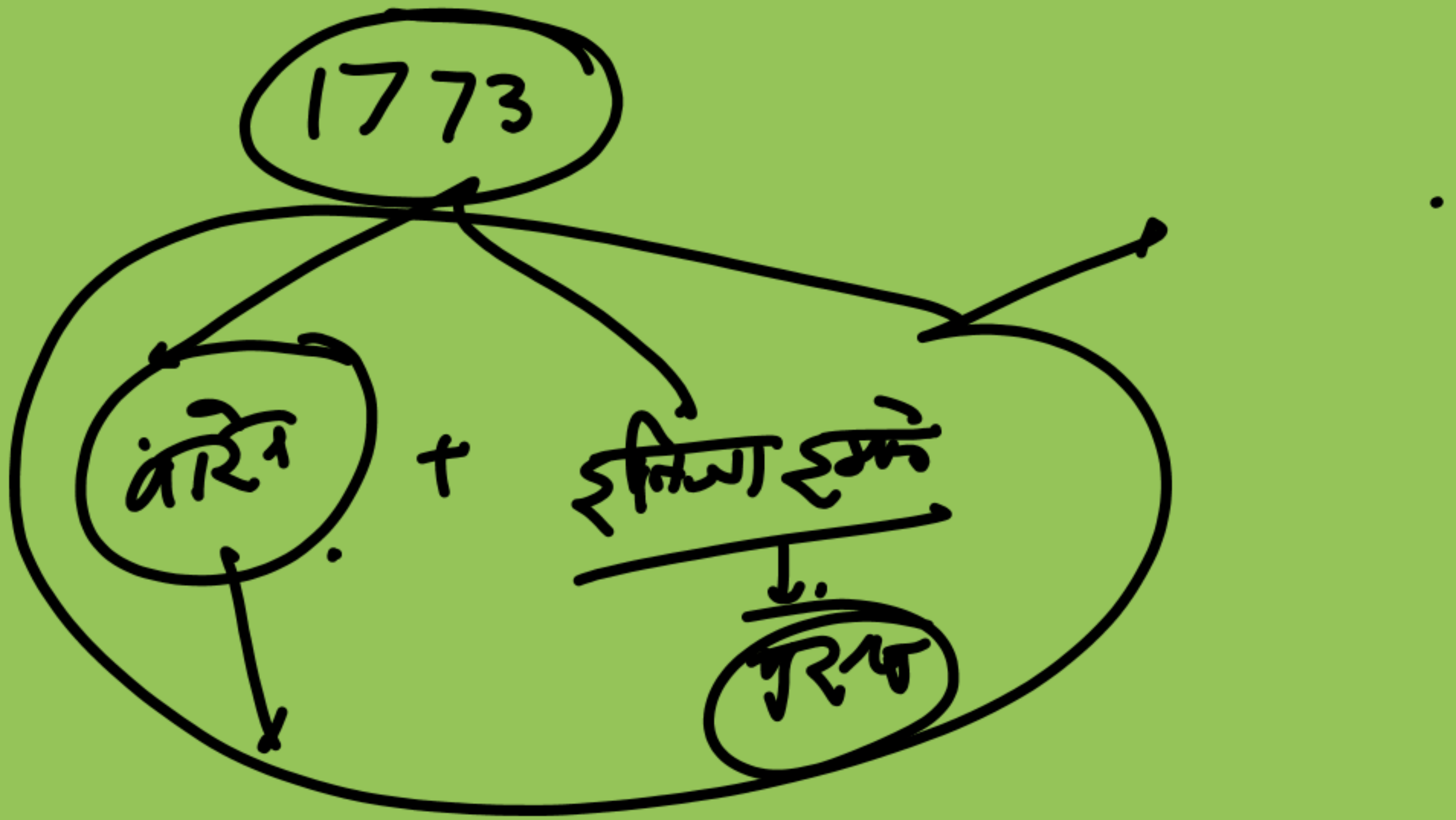
1773

राज्य के नीति–निदेषक तत्त्वों का वर्गीकरण

(Classification of Directive Principles of State Policy)

राज्य के नीति–निदेषक तत्त्वों का संविधान में तो वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन इनके व्यापक रूप को देखते हुए इन्हें निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है–

निदेशक तत्त्वों का वर्गीकरण

गांधीवादी तत्त्व	समाजवादी तत्त्व	उदारवादी तत्त्व
Art 40, Art 43, 43(B), 46, 47 | 48	38, 39, 39(A), 41, 42, 43. 43(A), 47	44, 45, 48, 48(A), 49, 50, 51

- **गांधीवादी तत्त्वः** ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। गांधीजी के सपनों को साकार करने के लिये उनके कुछ विचारों को निदेषक तत्त्वों में शमिल किया गया है। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधीजी द्वारा पुनर्स्थापित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिन अनुच्छेदों से गांधीवादी विचारधारा का आभास होता है, वे अनुच्छेद हैं– अनुच्छेद 40, 43, 43 (ख), 46, 47 तथा 48 आदि अनुच्छेद 40 के तहत एक प्रभावी इकाई के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन गांधीवादी सिद्धांत का एक प्रमुख उदाहरण है।

- **समाजवादी तत्त्वः** ये लोक–कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रषस्त करते हैं। ये समाजवाद के आलोक में हैं तथा लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं, जिनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान कराना है। समाजवादी तत्त्व का आभास जिन अनुच्छेदों के उल्लेख से होता है, वे हैं– अनुच्छेद 38, 39, 39क, 41, 42, 43, 43क तथा 47 आदि।

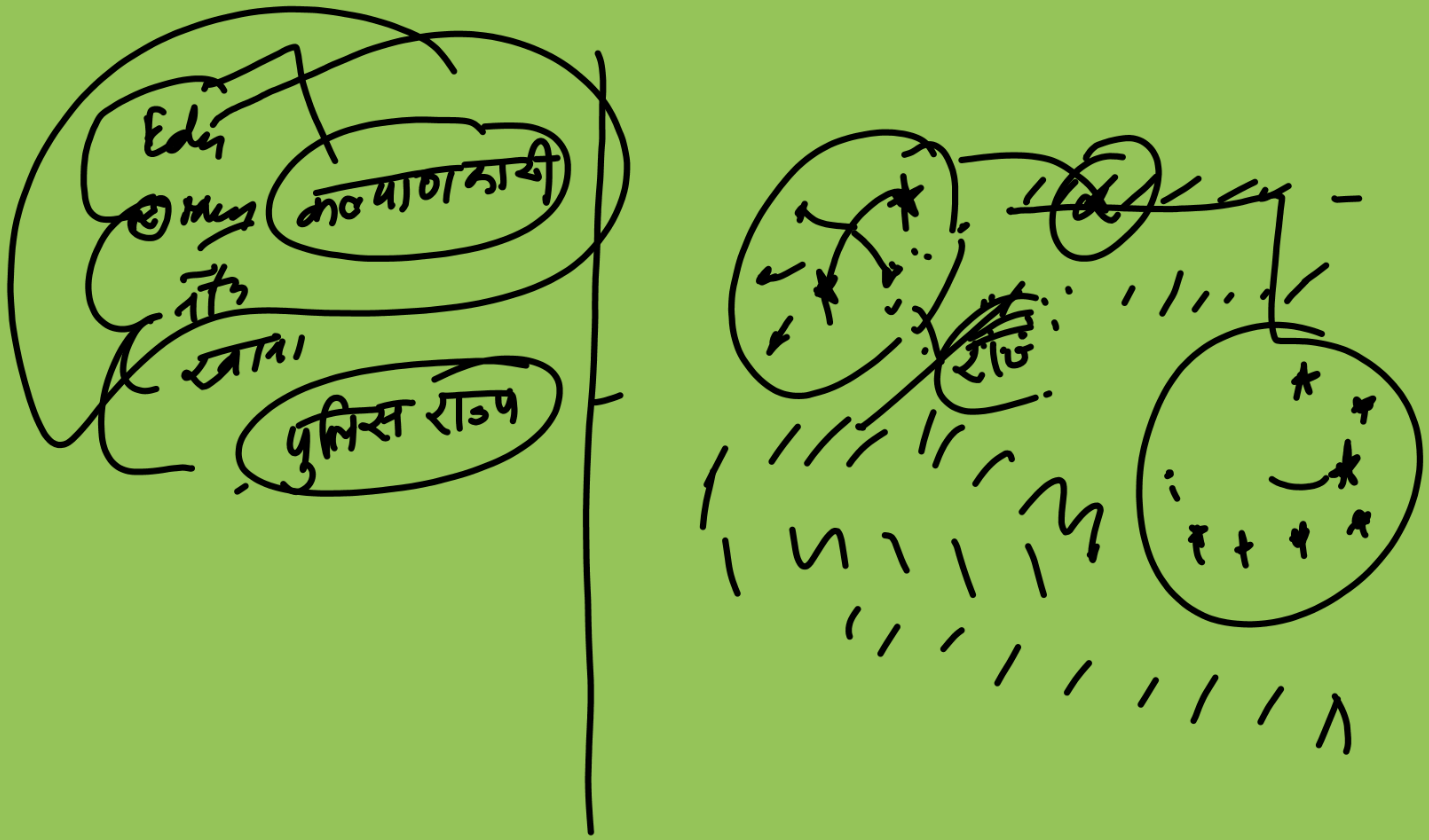

Edu
खाना
पुलिस राज्य

- उदारवादी तत्त्वः इनमें उन तत्त्वों को शामिल किया गया है जो उदारवादी विचारधारा से संबंधित हैं। वे तत्त्व जो राज्य को निर्देष देते हैं तथा जिससे उदारवादी विचारधारा का आभास होता रहे। उदारवादी विचारधारा का आभास कराने वाले अनुच्छेद हैं– अनुच्छेद 44, 45, 48, 48 (क), 49, 50 तथा 51 आदि ।

निदेषक तत्त्वों की आलोचना
(Criticism of Directive Principles)

- नीति निदेषक तत्त्व अक्सर विधायिका व न्यायपालिका के मध्य – विवाद/संघर्श का कारण बन जाते हैं।
- नीति–निदेषक तत्त्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं।
- इनका महत्त्व राज्य के लिये नैतिक षिक्षा की तरह है, जिससे वह निदेषित होता है, लेकिन बाध्य नहीं।
- इनको भारतीय संविधान ने मूलभूत तो घोशित किया है, लेकिन इन्हें लागू करने के साधनों को स्पश्ट नहीं किया।

- इनमें सम्मिलित कई प्रावधानों को आज भी लागू नहीं किया गया, जैसे– समान नागरिक संहिता ।
  नोटः भारत में गोवा एक अकेला राज्य है, जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है।
  मूल अधिकारों और नीति–निदेषक सिद्धांतों में अंतर
  मूल अधिकार

- ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिये गए हैं।
- इनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में है।
- इन्हें लागू कराने के लिये न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। अतः ये वाद योग्य हैं।
- ये व्यक्ति के अधिकारों के लिये हैं।
- मौलिक अधिकारों के पीछे कानूनी मान्यता है ।
- ये सरकार के महत्त्व को घटाते हैं।

- ये अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं।
- इनका लागू होना मुख्यतः व्यक्ति की सजगता और जागरूकता पर निर्भर है।
- मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। मूल अधिकारों को आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है।

(अपवाद–अनुच्छेद–20 और 21)

नीति–निदेषक सिद्धांत

- ये आयरलैंड के संविधान से लिये गए हैं।
- इनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में है।
- इन्हें लागू कराने के लिये न्यायालय नहीं जाया जा सकता। अतः ये वाद योग्य नहीं हैं।
- ये समाज की भलाई के लिये हैं।
- नीति के निदेषक तत्त्वों के पीछे राजनीतिक मान्यता है।

- ये सरकार के कर्त्तव्यों को बढ़ाते हैं।
- ये अधिकार राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं।
- नीति–निदेषक सिद्धांतों को राज्य द्वारा लागू किया जाता है।
- नीति–निदेषक सिद्धांत ऐसे प्रतिबंधों से मुक्त हैं।

नीति–निदेषक तत्त्व सामान्य और आपात दोनों स्थितियों में बने रहते हैं।

1. भारतीय संविधान के भाग – IV में दिये गए निर्देषित सिद्धांतों में निम्न में से कौन–सा / से सूचीबद्ध है /हैं?

1. समान कार्य के लिये समान वेतन
2. समान नागरिक संहिता
3. छोटे परिवार का मानदंड
4. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा

(a) 1, 2 और 3

(b) 2 और 3

(c) 1 और 2

(d) 1, 2 और 4

(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

(X) - वाद योग्य नहीं

+ Court नहीं

F.R

D.P.S.P

मौलिक अधिकार	नीति निदेशक तत्व
- प्रकृति - नकारात्मक है, रोकता है	→ सकारात्मक राज्य - करेगा → प्रोत्साहित करता है।
- प्रकृति = वाद योग्य है ✓	अवाद योग्य है। ✗

Q मूल अधिकार और DPSP में कौन बड़ा ? ⇒

Art 39(b)
39(c)

→ Art 14, 19 का उल्लंघन

DPSP

1980 मिनर्वा मिल: | Minerva Mill

DPSP - F.R

F.R सिक्के दो पहलू हैं।

DPSP → आत्मा कहा ·

(A) DR · B · R Ambedkar

(B) T. T Krishnamachari

(C) V-C Chanley

(D) = ग्रेनविल ऑस्टिन

(E) प्रो० के०टी शाह.

Note

ग्रेनविल ऑस्टिन ने

प्रो० केटी शाह ने

DPSP को ऐसा चेक कहा, जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है।

टी०टी कृष्णामाचारी ने - संविधान निर्माताओं की इच्छाओं का कूड़ादान कहा।

2. राज्य के नीति–निदेषक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है?

A (a) पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिये है और उपर्युक्त राज्यों के लिये

B (a) पूर्वोक्त संविधान का अंग नहीं है जबकि उपर्युक्त है।

C (a) राज्य के नीति–निदेषक प्रवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार प्रवर्तनीय है।

D (a) उपर्युक्त में कोई नहीं

3. भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन–सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देष देता है?

(a) अनुच्छेद–32

(b) अनुच्छेद–46

(c) अनुच्छेद–40 ✓

(d) अनुच्छेद–51

3. भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन–सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देष देता है?

(a) अनुच्छेद–32

(b) अनुच्छेद–46

(c) अनुच्छेद–40

(d) अनुच्छेद 51

4. एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित है–

(a) राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में

(b) मौलिक अधिकारों के अध्याय में

(c) संविधान की सातवीं अनुसूची में

(d) किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है।

5. शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देषित है ?

(a) धारा 47

(b) धारा 37

(c) धारा 50

(d) धारा 48

6. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति के निदेशक तत्त्वों का उल्लेख है ?

(a) अनुच्छेद–34 से 46

(b) अनुच्छेद– 36 से 51

(c) अनुच्छेद–34 से 52

(d) अनुच्छेद–37 से 51

(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

7. निम्नलिखित निदेषक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन–सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है?

(a) श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण।

(b) स्वशासन की प्रभावी इकाई के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन।

(c) पुरुशों और महिलाओं के लिये समान कार्य।

(d) कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना।

(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

Art 40

8. सूची–I को सूची – II के साथ सुमेलित कीजिये तथा सूचियों के नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये–

सूची– I (संविधान का अनुच्छेद)	सूची– I (विषय)
(a) अनुच्छेद– 40	(i) ग्राम पंचायतों का गठन
(b) अनुच्छेद–41	(ii) काम पाने का अधिकार
(c) अनुच्छेद–44	(iii) समान नागरिक संहिता
(d) अनुच्छेद–48	(iv) कृषि एवं पशुपालन का संगठन

कूट:

	A	B	C	D
(a)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(b)	(ii)	(iii)	(i)	(iv)
(c)	(i)	(iii)	(iv)	(ii)
(d)	(iiii)	(ii)	(iv)	(i)

(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक

9. मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति–निदेषक तत्त्वों के विशय में कौन – सा कथन सही है ?

(a) वे परस्पर विरोधी हैं

(b) वे एक–दूसरे के पूरक हैं

(c) दोनों में कोई अंतर नहीं है (क) वे अमान्य है।

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं /उपर्युक्त में से एक से अधिक

Basic

Advance

Ultra

मूल कर्त्तव्य
(Fundamental Duties)

- भारत के संविधान में मूल अधिकारों के साथ मूल कर्त्तव्यों (मौलिक कर्त्तव्यों) को भी शामिल किया गया है। वस्तुतः अधिकार और कर्त्तव्य एक-दूसरे के पूरक हैं। अधिकारविहीन कर्त्तव्य निरर्थक होते हैं, जबकि कर्त्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं।
- यदि व्यक्ति को 'गरिमापूर्ण जीवन' का अधिकार प्राप्त है तो उसका कर्त्तव्य बनता है कि वह अन्य व्यक्तियों के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का भी ख्याल रखे। यदि व्यक्ति को 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' प्यारी है तो यह भी जरूरी है कि उसमें दूसरों की 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के प्रति धैर्य और सहिष्णुता विद्यमान हो।

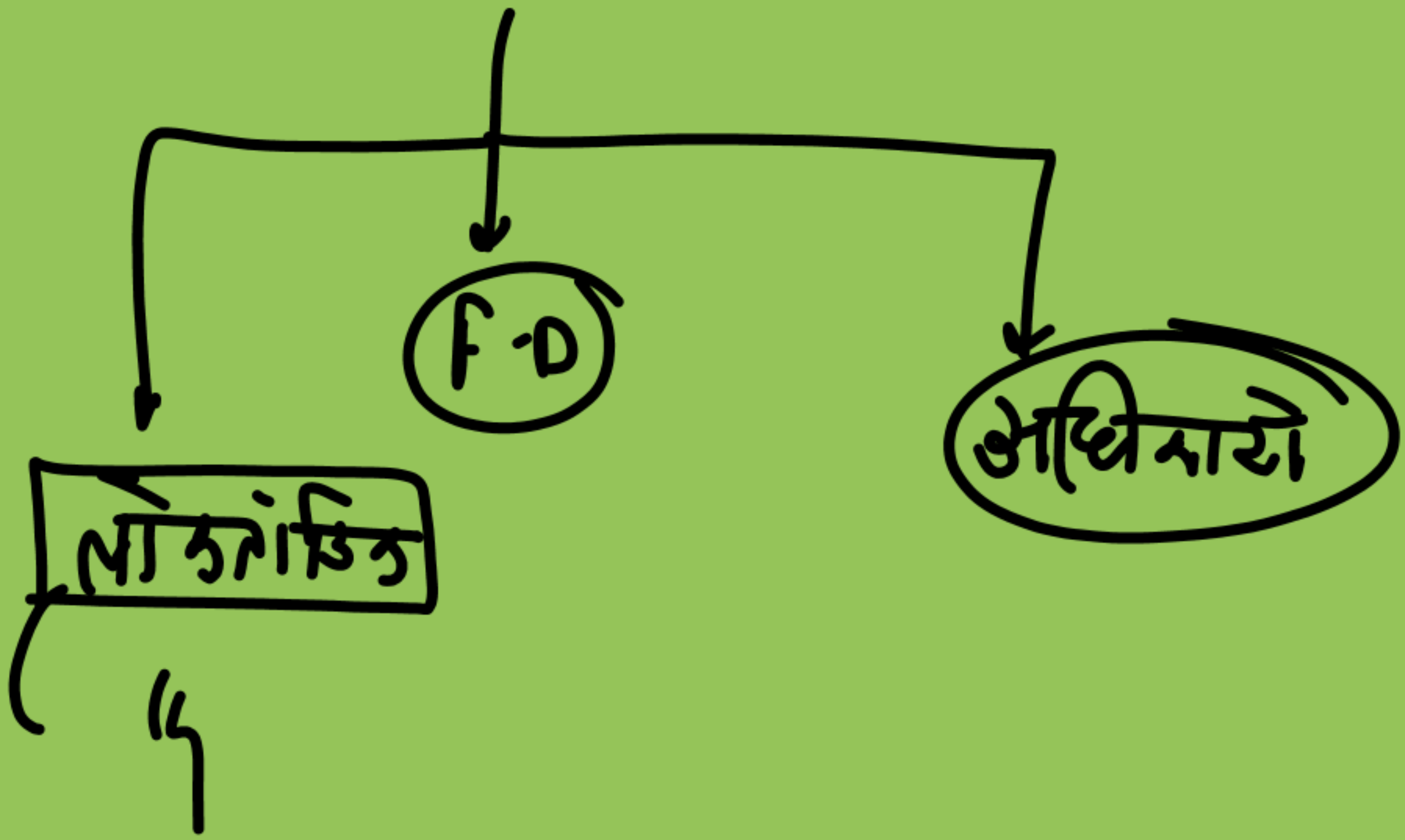

F.D
लोकतांत्रिक
अधिकारी

भारतीय संविधान में मूल कर्त्तव्यों का इतिहास

(History of Fundamental Duties in Indian Constitution)

- भारतीय संविधान भी प्रारंभ में मूल कर्त्तव्य शामिल नहीं थे। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में 1975 ई. में आपातकाल की घोषणा की गई, तभी सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में संविधान में उपयुक्त संशोधन सुझाने के लिये एक समिति का गठन किया गया था।
- स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात् भाग 4क अंतः स्थापित किया गया और उसके भीतर अनुच्छेद 51क को रखते हुए 10 मूल कर्त्तव्यों की सूची प्रस्तुत की गई। आगे चलकर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से एक और मूल कर्त्तव्य जोड़ा गया, जिसके तहत 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिता या संरक्षक पर यह कर्त्तव्य आरोपित किया गया है कि वे अपने बच्चे द्य अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे।

मूल कर्त्तव्यों की सूची
(List of Fundamental Duties)

☞ वर्तमान में संविधान के भाग 4क तथा अनुच्छेद 51क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक के कुल 11 मूल कर्त्तव्य हैं। इसके अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह-

1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।

2. स्वतंत्रता के लिये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सँजोए रखे और उनका पालन करे।

3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे।

4. देश की रक्षा करें और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।

5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।

6. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे।

7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्द्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे।

8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।

९. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।

10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न से उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

11. जो माता-पिता या संरक्षक हों, वह छः से चौदह वर्ष के बीच की आयु के, यथास्थिति, अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा।

86वाँ संविधान संशोधन

वर्ष 2002 में शिक्षा के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 51क में संशोधन करके (10) के बाद नया अनुच्छेद (11) जोड़ा गया है, ''इसमें 6 साल से 14 साल तक की आयु के बच्चे के माता-पिता या अभिभावक अथवा संरक्षक को अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा दिलाने के लिये अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है।''

मूल कर्त्तव्यों को प्रभावी बनाने के उपाय

(Measures for Making Fundamental Duties Effective)

☞ भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता में मूल कर्त्तव्यों के प्रचालन पर विचार करने के लिये एक समिति गठित की थी। इस समिति ने 1999 ई. में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में मूल कर्त्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिये कुछ सुझाव दिये, जिनमें प्रमुख हैं-

1. 3 जनवरी को मूल कर्त्तव्य दिवस घोषित किया जाए। 3 जनवरी की तिथि इसलिये चुनी गई थी, क्योंकि इसी दिन से 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 लागू हुआ था, जिसमें मूल कर्त्तव्य भी थे।
2. मूल कर्त्तव्यों को विद्यालयों के पाठ्यक्रम तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।
3. सभी सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक स्थानों पर बोर्ड, विज्ञापन आदि के माध्यम से मूल कर्त्तव्यों को ज्यादा से ज्यादा प्रस्तुत किया जाना चाहिये, ताकि लोगों को उनसे परिचित होने का मौका मिल सके।
4. मीडिया को लगातार ऐसे संदेश तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करने चाहिये। जिनसे मूल कर्त्तव्यों के संबंध में जागृति तथा चेतना का प्रसार हो।
5. मीडिया को ऐसे दृश्य दिखाने से परहेज करना चाहिये, जो जनता को उत्तेजित करते हों और उसे मूल कर्त्तव्यों से विचलित करते हों।

मूल कर्त्तव्यों की प्रवर्तनीयता

(Enforceability of Fundamental Duties)

☞ सामान्य धारणा यह है कि मूल कर्त्तव्य न्यायालयों के माध्यम से प्रवृत्त नहीं कराए जा सकते हैं अर्थात् यदि कोई नागरिक अपने मूल कर्त्तव्य का पालन न करे तो न्यायालय द्वारा नागरिक को दंडित नहीं किया जा सकता है। इस दृष्टि से मूल कर्त्तव्य भी राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों की तरह हैं। जिस तरह से राज्य को न्यायालय में इस बात के लिये प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है कि वह नीति-निदेशक तत्त्वों का पालन नहीं कर रहा है, वैसे ही किसी नागरिक को इस बात के लिये बाध्य या दंडित नहीं किया जा सकता कि वह अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। इसी आधार पर कुछ विद्वानों ने व्यंग्य करते हुए कहा है कि "मूल कर्त्तव्य निरर्थक घोषणाएँ मात्र है।"

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्त्तव्य कौन-सा है?

(a) न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण

(b) हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना

(c) बच्चों के लिये मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा

(d) छूआछूत की परंपरा को समाप्त करना

2. 42वें संशोधन अधिनियम (1976) से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है-

(a) संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित

(b) अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण

(c) मौलिक कर्त्तव्य

(d) इनमें से कोई नहीं

3. मौलिक कर्त्तव्यों को निर्धारित किया गया-

(a) 40वें संशोधन द्वारा

(b) 43वें संशोधन द्वारा

(c) 42वें संशोधन द्वारा

(d) 39वें संशोधन द्वारा

4. निम्नलिखित में से कौन-सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्त्तव्यों को 1976 ई. में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी?

(a) कोठारी समिति

(b) स्वर्ण सिंह समिति

(c) अशोक मेहता समिति

(d) बलवंत राय मेहता समिति

5. भारतीय संविधान का अनुच्छेद- 51A नागरिकों के मौलिक कर्त्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया?

(a) 46वाँ संशोधन

(b) 42वाँ संशोधन

(c) 71वाँ संशोधन

(d) 73वाँ संशोधन

6. भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्त्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इनका समावेश किया गया है?

(a) भाग- III

(b) भाग- IIIA

(c) भाग- IV

(d) भाग- IVA

7. मौलिक कर्त्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़े गए थे?

(a) कालेकर समिति

(b) हंसमुख अधिया समिति

(c) रेखा समिति

(d) स्वर्ण सिंह समिति

8. संविधान में मौलिक कर्त्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया?

(a) 1975 में

(b) 1976 में

(c) 1978 में

(d) 1979 में

9. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्त्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है?

(a) पहले

(b) दूसरे

(c) तीसरे

(d) चौथे

BPSC - 2023

10. वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्त्तव्यों का उल्लेख है?

(a) नौ

(b) दस

(c) ग्यारह

(d) बारह

By: Karan Sir